

17-3-21

100  
मं

ए.पी.पी.एच। आर.सी.आर.के. गैरसाफल एच।  
 आर.सी.आर.के. उमरपुत्र के मुताबिका। इस्तराफ  
 मल्लिक धारा 3 राजस्वान गुण्डा एच।  
 निदेश आर.सी.आर.के. 1975 के गहन जिला  
 पुलिस अधीक्षक मल्लिक की ओर से गैर  
 साफल वेतनसिद्धि फुल जवाहर सिंह जाति आली  
 निवासी उमरपुत्र से कजान धान एच। नगर  
 जिला मल्लिक के ठिकेड दिनांक 24.02.2012  
 को प्रेषित किया गया है जिसमें गैरसाफल के  
 खिलाफ सार्वजनिक स्थान पर धरती की  
 खाई बाला। कथित शराब बेचने का धंधला  
 करने के कारण कजान एच। के गहन प्रभाव  
 पहुँचाने के कारण लगाते हुए इसके सम्बन्ध  
 में गैरसाफल के खिलाफ मोच मुकदमे क्रमांक  
 323/09, धारा 13 आर.सी.पी.ओ. एच., 53/10 धारा  
 13 आर.सी.पी.ओ. एच., 108/10 धारा 13 आर.सी.  
 पी.ओ. एच., 194/10 धारा 13 आर.सी.पी.ओ.  
 एच. से नुं क्रं 336/11 धारा 16/54 आर.सी.पी.  
 आर.सी.आर.के. मुं क्रं 336/11 धारा 16/54 आर.सी.पी.  
 आर.सी.आर.के. मुं क्रं 336/11 के दोसकद उक्त धारा नुं क्रं 336/11  
 के अन्तर्गत धारा 100-क के मुं क्रं 336/11  
 से दायित्व किये जाने का उल्लेख इस्तराफ  
 में किया गया है मजाली के इतराफ एच।  
 गवाहन का अधिपतन किया गया गैरसाफल  
 के खिलाफ प्रस्तुत इस्तराफ के अंतर्गत  
 मुकदमाल साल 2011 के पूर्व के है प्रकरण  
 इस्तराफ के चलते हुए मुं क्रं 9 वरु की  
 अन्तर्गत धारा से मुं क्रं 9 वरु अन्तर्गत  
 के गैरसाफल के खिलाफ कोई प्रकरण मुं क्रं  
 धारा एच। के मुं क्रं 9 वरु के अन्तर्गत  
 धारा एच। पर नहीं है धारा गवाहन में नहीं है।  
 कोई आर.सी.आर.के. दस्तावेज प्रेष नहीं किया  
 है जिससे गैरसाफल उच 9 साल की  
 अन्तर्गत के अधिपतन में लिखत धारा

बोयल

सरकार 1/5 अक्टूबर 1975  
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

सबिग देगा एग शेखी स्विचिंग के प्रकृष  
नाफेवाई विरुद्ध अपापी इसी सेज पर  
खारिज की जाती है पत्रावली के सल  
मुआर खेकर माद प्रॉबे डाखिल इफर  
के

989 से  
10/12/75  
जिम्मेदार  
SP (10/12/75)

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
भरतपुर (राज.)

कार्यालय मुकदमा राजा इस प्रकार है कि वेस्ट  
जिला के खाली निंठ जमोर्दा रोड अजान आना उद्योगकार का  
के क्षेत्र में निवास करता है। यह व्यक्ति साक्षर और  
काम्य शक्ति बंधने का भया करता है, जिससे आम जनता के  
के लिए इस धर्म में काफी समय के लिखा है। जिससे इतना  
के अर्थगत है। जिसके विरुद्ध प्रकृषण पत्रावली द्वारा  
के लिए है। न्यायालय द्वारा दोषिदों को कसबा मया  
अतः न्यायालय दोषिदों पुत्र जवाहरलाल राजा  
के आना उद्योगकार के विरुद्ध इलाका अन्तर्गत  
के निम्न 1975 में पेश कर निवेदन है कि सक्त कसबा को  
के अन्तर्गत कराने की कृपा करें।

विषय-  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
अतिरिक्त जिला कलक्टर

क्रमांक	धारा	आदेश	अन्य
23/09	13 आरजीपीओ एक्ट	135/09	100 रु
3/10	13 आरजीपीओ एक्ट	21/10	100 रु
08/10	13 आरजीपीओ एक्ट	59/10	100 रु
14/10	13 आरजीपीओ एक्ट	113/10	100 रु